न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 163 / 17 दायरा दिनांक 13.09.17

पीठासीन अधिकारी :– श्री हनुमान सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

उनवान

मदनलाल पुत्र अमरलाल जाति लोधी निवासी मामली
तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.) – अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक, बारां – रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.ए.

निर्णय दिनांक 12.12.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत सहायक वन संरक्षक बारां के प्रकरण संख्या 1942 / 16 निर्णय दिनांक 19.05.16 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खेडली मोतीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 10 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमी मानकर 4
000 / – रूपये जुर्माना, फसल कीमत एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं,साथ ही अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया है तथा मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व धारणा बनाकर अपीलांट को दोषी न होते हुये भी अतिक्रमी मानकर व सजायाब करके भारी भूल व न्याय का हनन किया है तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। फैसले में वर्णित भूमि पर कार्यवाही की तिथि को उसका कब्जा नहीं था न आज है। उसके विरूद्ध वनपाल ने बिना खेत देखे, गांव में बैठकर झूठी रिपोर्ट की गई है जिसकी किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है, नियमों के तहत न तो मौका देखा, न पडोसी खेतों के मालिकों की साक्ष्य ली है, न कोई स्वतंत्र साक्ष्य ली है। इस प्रकार सहायक वन संरक्षक, बारां का फैसला मनमाना है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा–91 के लिए निर्धारित प्रक्रिया में कोई जांच नहीं की है तथा अपीलांट को निर्दोष होते हुये भी सजायाब किया गया है। अपीलांट गरीब, असहाय, भूमिहीन व्यक्ति है । वह व उसका परिवार जीवन यापन रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, उसके खाते की भूमि नहीं है, इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है तथा बडा कठोर रूख अपनाकर अपीलांट को अवैधानिक तौर पर भारी जुर्माना व सिविल कैद की सजा से दंडित किया गया है, जो किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। इस बाबत न तो पूर्व फैसले एवं बेदखली तथा दखलनामा की कोई नकल पेश की गई है न उन्हें प्रमाणित कराया गया है। वनपाल का बयान बिना जिरह के कानून मान्य नहीं है। उसे सर्वथा गलत तौर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया है। इस संबंध में सम्मानीय राजस्थान उच्च न्यायालय व सम्मानीय राजस्व मण्डल द्वारा की गई व्यवस्थाओं व विधि दृष्टान्तों 1996 (3) आर.बी.जे. पेज नं. 495, 456, 410, 1997 आर.आर.डी. पेज नं. 544, 546, 1993 आर.आर. डी. पेज 583, 585 ने स्थिति स्पष्ट की हुई है । सजा के मामलों में राजस्व मण्डल ने 2001 आर.आर.डी. पेज 401 बजरंगा बनाम राजस्थान सरकार पूर्णतया स्पष्ट है तथा इस प्रकार के मामलों में सिविल कैद की सजा नहीं दी जा सकती है ।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया जिसमें पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश एवं बेदखलीनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है । स्वतंत्र गवाह के बयान भी नही लिए गए हैं। अपीलांट के वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि न्यायालय के निर्णय की पालना में उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया हो एवं तावान राशि जमा करा दी हो। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)